छत्तीसगढ़ विधान सभा

जुलाई-अगस्त, 2010 सत्र

दैनिक कार्य सूची

शुक्रवार, दिनांक 30 जुलाई, 2010 (श्रावण 8, 1932)

समय 11:00 बजे दिन

1. निधन का उल्लेख

श्री रोहिणी कुमार बाजपेयी, अविभाजित मध्यप्रदेश विधान सभा के पूर्व सदस्य.

2. प्रश्नोत्तर

पृथकत: वितरित सूची में सम्मिलित प्रश्न पूछे जायेंगे तथा उनके उत्तर दिये जायेंगे.

3. अध्यादेश का पटल पर रखा जाना

श्री राजेश मूणत, नगरीय प्रशासन मंत्री, भारत के संविधान के अनुच्छेद 213 की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश (संशोधन) अध्यादेश, 2010 (क्रमांक 1 सन् 2010) पटल पर रखेंगे.

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, विद्युत प्रदाय अधिनियम, 1948 (क्रमांक 54 सन् 1948) की धारा 69 की उपधारा (5) के पद (क) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल के लेखों का वार्षिक विवरण वर्ष 2001-2002 एवं 2002-2003 पटल पर रखेंगे.

(2) डॉ. रमन सिंह, मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़ लोक आयोग अधिनियम, 2002 (क्रमांक 30 सन् 2002) की धारा 11 की उपधारा (6) की अपेक्षानुसार छत्तीसगढ़ लोक आयोग का सप्तम वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2008-2009 पटल पर रखेंगे.

5. नियम 138 (1) के अधीन ध्यानआकर्षण

(1) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश के आदिवासी अंचलों से युवतियों के लापता होने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(2) श्री देवजी पटेल, सदस्य, रायपुर जिले में उद्योगों के अपशिष्ट पदार्थों से प्रदूषण फैलने से उत्पन्न स्थिति की ओर आवास एवं पर्यावरण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(3) श्री सौरभ सिंह, सदस्य, बिलासपुर स्थित सिम्स में चिकित्सा उपकरण खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमश: 2

(4) श्री नंद कुमार पटेल, डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, रायगढ़ जिला स्थित इण्ड सिनर्जी कोटमार के ए.जी.एम. द्वारा एक युवती के साथ अनाचार किये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(5) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, कबीरधाम जिले में सार्वजनिक वितरण प्रणाली व मुख्यमंत्री खाद्यान्न सहायता योजना अंतर्गत राशनकार्ड बनाने में अनियमितता किये जाने की ओर खाद्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(6) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, रायपुर जिले के विकासखंड तिल्दा में जी.एम.आर. कंपनी द्वारा अवैध रूप से पावर प्लांट का निर्माण किये जाने की ओर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(7) श्री नारायण चंदेल, सदस्य, जांजगीर-चांपा जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत कराये गये कार्यों में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(8) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, कुलदीप सिंह जुनेजा, धर्मजीत सिंह, सदस्य, प्रदेश में अघोषित बिजली कटौती तथा नेशनल ग्रिड कार्पोरेशन से बिजली ओव्हर ड्रॉ करने से पावर कंपनी को हो रही हानि की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(9) श्री रामजी भारती, सदस्य, राजनांदगांव जिले के ग्राम-मारूकोला तथा अरचेडबरी के मध्य स्टापडेम कम रपटा निर्माण में गुणवत्ताविहीन सामग्री का उपयोग किये जाने की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(10) सर्वश्री रविन्द्र चौबे, भजनसिंह निरंकारी, सदस्य, भिलाई नगर अंतर्गत छावनी चौक से हथखोजपारा पुलिया तक सड़क निर्माण में अनियमितता किये जाने की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(11) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, प्रदेश में खाद का अवैध भण्डारण तथा अमानक स्तर की खाद बेचे जाने की ओर कृषि मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(12) श्री रविन्द्र चौबे, सदस्य, राजनांदगांव बन मंडल में वृक्षारोपण के लिये पौधों की खरीदी में अनियमितता किये जाने की ओर वन मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(13) श्री धर्मजीत सिंह, सदस्य, रायपुर-जगदलपुर मार्ग में ट्रक सहित बारूद लूट लिये जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(14) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, राजनांदगांव जिले के तुमड़ीबोड़ में स्थापित गणपति साल्वेंट को नियम विरूद्ध कर में छूट दिये जाने की ओर वाणिज्यिक कर मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(15) श्री चैतराम साहू, सदस्य, भाटापारा विधान सभा अंतर्गत ग्राम-गणेशपुर में डायरिया बीमारी फैलने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(16) डॉ. शक्राजीत नायक, सदस्य, धमतरी जिले में एक्सपायरी दवा बेचे जाने की ओर लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

क्रमशः 3

(17) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जशपुर जिले में पशुओं को कत्लगाह ले जाने की ओर गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(18) सर्वश्री नंद कुमार पटेल, रविन्द्र चौबे, जयसिंह अग्रवाल, सदस्य, प्रदेश में निजी विद्युत उत्पादकों द्वारा बिजली बेचने में अनियमितता किये जाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(19) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, जिला जेल रायगढ़ व उपजेल कटघोरा में समुचित इलाज के अभाव में बंदियों की मौत होने की ओर जेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(20) श्री लेखराम साहू, श्रीमती अंबिका मरकाम, सदस्य, धमतरी जिले के ग्राम-पांवद्वार में रेनवाटर हार्वेस्टिंग के गड्ढे में गिरने से दो बच्चों की मौत होने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(21) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, प्रदेश के महाविद्यालयों में प्राध्यापकों की कमी होने की ओर उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(22) श्री नंद कुमार पटेल, सदस्य, राजीव गांधी शिक्षा मिशन योजना के अंतर्गत सामग्री क्रय किये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ राज्य बीज एवं कृषि विकास निगम द्वारा निर्देश दिये जाने की ओर स्कूल शिक्षा मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(23) सर्वश्री देवजी पटेल, धर्मजीत सिंह, सदस्य, राज्य सिविल सेवा की परीक्षा आयोजित न हो पाने की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

(24) श्री मोहम्मद अकबर, सदस्य, कबीरधाम जिले के अंतर्गत पंचायतों द्वारा कराए गये कार्यों के भुगतान में अनियमितता किये जाने की ओर पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे.

6. प्रतिवेदनों की प्रस्तुति

(1) श्री नारायण चंदेल, सभापति, सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति का चतुर्थ एवं पंचम प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(2) श्री नंद कुमार पटेल, सभापति, लोक लेखा समिति का इक्यावनवां, बावनवां, तिरेपनवां, चौवनवां, पचपनवां, छप्पनवां, सत्तावनवां, अट्ठावनवां, उनसठवां एवं साठवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(3) श्री सेवकराम नेताम, सभापति, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का द्वितीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

(4) श्री देवजी पटेल, सभापति, प्रश्न एवं संदर्भ समिति का द्वितीय (कार्यान्वियन) प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे.

क्रमशः 4

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

(1) श्री अमर अग्रवाल, वाणिज्यिक कर मंत्री, छत्तीसगढ़ मनोरंजन शुल्क एवं विज्ञापन कर (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 20 सन् 2010) के पुर:स्थापन का प्रस्ताव करेंगे तथा अनुमति प्राप्त होने पर विधेयक पुर:स्थापित करेंगे.

निर्धारित समय

20 मिनट (2) सुश्री लता उसेंडी, समाज कल्याण मंत्री, प्रस्ताव करेंगी कि - छत्तीसगढ़ निराश्रितों एवं निर्धन व्यक्तियों की सहायता (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 17 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगी कि विधेयक पारित किया जाये.

10 मिनट (3) श्री रामविचार नेताम, विधि और विधायी कार्य मंत्री, प्रस्ताव करेंगे कि - हिदायतुल्ला राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ (संशोधन) विधेयक, 2010 (क्रमांक 18 सन् 2010) पर विचार किया जाये.

उक्त प्रस्ताव के पारित होने तथा विधेयक पर खंडश: विचार हो चुकने पर प्रस्ताव करेंगे कि विधेयक पारित किया जाये.

8. अशासकीय संकल्प

50 मिनट (1) श्री महंत रामसुन्दर दास, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''प्रदेश में संचालित समस्त शासकीय प्राथमिक विद्यालयों, पूर्व माध्यमिक विद्यालयों एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के परिसरों के चारों ओर बाउंड्रीवॉल का निर्माण किया जाय.''

50 मिनट (2) श्री संतोष बाफना, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

यह सदन केन्द्र सरकार से अनुरोध करता है कि ''कांगेर घाटी नेशनल पार्क में स्थित कोटमसर गुफा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया जाय.''

50 मिनट (3) श्री देवजी पटेल, सदस्य, निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगे :-

सदन का यह मत है कि ''औद्योगिक ईकाईयों के विसर्जित ठोस अपशिष्टों से यत्र-तत्र प्रदूषण फैलाए जाने पर तत्काल रोक लगाई जाय.''

रायपुर
दिनांक 29 जुलाई, 2010

देवेन्द्र वर्मा
सचिव.